#### कार्यालय संचालक म॰प्र॰ जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (म॰प्र॰ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग) कलियासोत डेम के पास, कोलार रोड, भोपाल — 462016 दूरभाष 0755—4082502, 4082525 E-mail: mpwalmi@gmail.com

क्रमांक / वाल्मी / डब्ल्यू-04 / 2020-21 /075

दिनांक @3/03/2021

### ः आदेशः

संस्थान में उपलब्ध सुविधाएं जैसे ईकोलाजिकल पार्क, कलाकाश, कम्युनिटी हॉल, वाल्मी पर्यटक कॉटेज, वातानुकूलित कमरे एवं मैस सुविधा शासकीय कर्मचारियों के साथ—साथ आमजन के लिये भी उपलब्ध रहेंगी। विभिन्न सुविधाओं के शुल्क एवं शर्तें निम्नानुसार आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगी।

### 1. डारमेटी एवं हॉल :-

वाल्मी द्वारा डारमेट्री एवं हॉल का निर्माण किया गया है जो की वाल्मी पिरसर मे ही है, इसका निर्माण नियम व शर्तों के अनुसार सभी के उपयोग के लिए किया गया है, HALL में मैरिज फंक्शन, बर्थडे पार्टी एवं अन्य प्रोग्राम कर सकते हैं इसी साथ नियम व शर्तों के अनुसार वाल्मी का गार्डन भी उपयोग किया जा सकता है जिसमे रिसेप्शन या जरुरत के हिसाब से सुविधा प्रदान की जा सकती है, इससे सम्बंधित नियम व शर्ते निम्नानुसार हैं।

- 1. कैटरिंग सुविधा WALMI में उपलब्ध है बाहरी कैटरिंग सुबिधा लाने की अनुमति नहीं है |
- 2. साज सज्जा अथवा म्यूजिक सिस्टम की बाहरी विक्रेताओं को अनुमित नहीं है, walmi के अनुबंधित वेंडर द्वारा स्विधा प्रदान की जाएगी |
- 3. बुकिंग गैर-हस्तांतरणीय है ।
- 4. यदि ग्राहक निर्धारित समय पर डारमेट्री एवं हॉल का लाभ उठाने मे असमर्थ होता है तो उसका आरक्षण रद्द कर दिया जायेगा और दिया गया एडवांस जब्त कर लिया जायेगा |
- 5. बुकिंग के समय एक मान्य फोटो पहचान पत्र साथ रखें |
- 6. सरकार कि गाइड लाइन के अनुसार रात्रि में दिए गए समय के भीतर कार्यक्रम बंद कर दिया जायेगा |
- 7. मैनेजमेंट समयानुसार शुल्क में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है ।
- 8. walmi परिसर में कोई सामान खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने कि स्थिति में walmi प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी सारी जिम्मेदारी अतिथि सदस्यों कि रहेगी |
- 9. नशीली चीजों का सेवन करना अथवा शराब पीना वर्जित है |
- 10. C.C.T.V. सिस्टम फुटेज केवल सुरक्षा कि द्रष्टि के अधीन है और सेवाओं का हिस्सा नहीं है।
- 11. अतिथि की सुविधा के लिए बस सुविधा WALMI द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी परन्तु इसका शुल्क अलग से अतिथि द्वारा देय होगा |

(Cin 93/3/24

- 12. बुकिंग के समय न्यूनतम 50% राशी जमा कराना आवश्यक है एवं बाद में बकाया राशी कार्यक्रम वाले दिन जमा कराना अनिवार्य होगा |
- 13. किसी विवाद के सम्बन्ध में प्रथमतः walmi प्रबंधन का निर्णय मान्य होगा, निर्णय यदि दोनों पक्षों को मान्य नहीं है तो यह विवाद भोपाल कोर्ट से सुलझाया जायेगा |
- 14. अतिथि की सुविधा के लिए वाहन सुविधा WALMI कि एजेंसी द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी परन्तु इसका शुल्क अलग से अतिथि द्वारा देय होगा |
- 15. वाल्मी के कर्मचारियों को 50% अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी एवं अन्य शासकीय अतिथियों को 25% कि अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी |
- 16. रद्दीकरण और वापसी नीति:-

| रद्द करने का नोटिस  | सामान्य दिनों में : धन वापसी नीति |
|---------------------|-----------------------------------|
| 10 दिन और अधिक      | 90% धन वापसी                      |
| 2 से 9 दिनों तक     | 80% धन वापसी                      |
| 1 दिन और उसके पूर्व | शून्य धन वापसी                    |

नोट:- रद्दीकरण शुल्क पर 18% GST लागू रहेगा | <u>शुल्क सूची :-</u>

|  | 31                               | रमेट्री एवं हॉल      |                         |
|--|----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| क्रमांक  | विवरण                            | राशि PER DAY (रुपये) | FOOD (Poid boots)       |
| 1  | केवल हॉल                         | 25000.00             | FOOD (Paid basis)       |
|  | AC room Charges per room for two | 25000.00             | As per agency agreement |
| The second secon | persons                          | 2000.00              | RAFEWELL WITH           |

## 2. वाल्मी पर्यटक कॉटेज

WALMI द्वारा 3 BHK DUPLEX जो कि 4000 SQUARE FEET में है दिए गए नियम व शर्तों के साथ आवासीय सुविधा के लिए सभी को उपलब्ध है, इस गेस्ट हाउस में 3 स्टार होटल के लगभग सुविधए प्रदान की जाएँगी व्यक्ति ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन इसकी बुकिंग कर सकता है |

- सामान्य नीतियाँ:-
  - 1. बुकिंग गैर-हस्तांतरणीय है ।
  - 2. असाधारण एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रबंधन अग्रिम बुंकिंग रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है |

- 3. यदि ग्राहक निर्धारित समय से 12 घंटे के भीतर आवास का लाभ उठाने मे असमर्थ होता है तो उसका आरक्षण रद्द कर दिया जायेगा और दिया गया एडवांस जब्त कर लिया जायेगा |
- 4. यदि कोई पर्यटक अपने प्रस्तावित प्रवास की अविध को कम कर देता है, तो अग्रिम भुगतान के लिए भुगतान की गई अविध को समायोजित नहीं किया जाएगा। कोई धनवापसी स्वीकार्य नहीं होगी |
- 5. मैनेजमेंट समयानुसार शुल्क में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है |
- 6. किसी विवाद के सम्बन्ध में प्रथमतः walmi प्रबंधन का निर्णय मान्य होगा, निर्णय यदि दोनों पक्षों को मान्य नहीं है तो यह विवाद भोपाल कोर्ट से सुलझाया जायेगा |
- 7. कृपया गेस्ट हाउस में बुकिंग के समय एक मान्य फोटो पहचान पत्र साथ रखें |
- 8. बिजली चले जाने कि स्थिति में केवल लाइट और पंखे जनरेटर द्वारा चालू रहेंगे |
- 9. निजी खानपान की अनुमति नहीं है, भोजन व्यवस्था अतिथि गृह द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी |
- 10. नशीली चीजों का सेवन करना अथवा शराब पीना वर्जित है |
- 11. check in एवं check out के समय नाम, समय, दिनांक की प्रविष्टि रजिस्टर में की जाएगी।
- 12. C.C.T.V. सिस्टम फुटेज केवल सुरक्षा कि द्रष्टि के अधीन है और सेवाओं का हिस्सा नहीं है।
- 13. अतिथि गृह check in के समय पूरी राशि जमा कराना अनिवार्य है |
- 14. विशेष अतिथि गृह में हुई किसी भी प्रकार कि टूट-फूट या सामान चोरी हो जाने की परिस्थिति में सारी जिम्मेदारी अतिथि कि रहेगी प्रबंधन अतिथि से हुए नुकशान की भरपाई करवाने का हकदार होगा |
- 15. विशेष अतिथि गृह में लगातार अधिकतम 10 दिवस तक आवास कि सुविधा है इसके उपरांत पुनः रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा |
- 16. अतिथि की सुविधा के लिए वाहन सुविधा WALMI कि एजेंसी द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी परन्तु इसका शुल्क अलग से अतिथि द्वारा देय होगा |
- 17. GST 18% कि दर से लागू की जाएगी |
- 18. वाल्मी के कर्मचारियों को 50% अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी एवं अन्य शासकीय अतिथियों को 25% कि अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी |
- 19. रद्दीकरण और वापसी नीति:-

| रद्द करने का नोटिस  | सामान्य दिनों में धन वापसी नीति |
|---------------------|---------------------------------|
| 10 दिन और अधिक      | 90% धन वापसी                    |
| 2 से 9 दिनों तक     | 80% धन वापसी                    |
| 1 दिन और उसके पूर्व | शून्यधन वापसी                   |

नोट:

• रद्दीकरण शुल्क पर 18% GST लागू रहेगा |

Ulmi 103/3/14

#### शुल्क सूची :-

|         |                   | पर्यटक कॉटेज                | रुपये   |
|---------|-------------------|-----------------------------|---------|
| क्रमांक | विवरण             | व्यक्तियों की अधिकतम क्षमता |         |
|         | ब्रेकफास्ट के साथ |                             |         |
| 4       | 3 BHK इप्लेक्स    | 6 ट्यक्ति क्षमता            | 3000.00 |

#### 3. कलाकाश

सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं मनोरंजन के लिए कलाकाश का निर्माण किया गया है, जो सामान्य जन के लिए भी उपलब्ध है | कलाकाश कि बैठक क्षमता 150 व्यक्तियों कि है जिसमे दिए गए निर्देशों के अनुसार हाई टी एवं लंच सुविधा भी उपलब्ध है | कलाकाश से संवंधित नियम एवं शर्ते निम्न अनुसार हैं एवं उसी के अंतर्गत कलाकाश संचालित होगा |

- 1. कलाकाश में रजिस्ट्रेशन के समय न्यूनतम 50% राशी जमा कराना आवश्यक है एवं उपयोग के समय समान दिवस में बकाया राशी जमा कराना आवश्यक है |
- 2. बुकिंग गैर-हस्तांतरणीय है |
- 3. असाधारण एवं अपरिहार्य परिस्थितियों में प्रबंधन अग्रिम बुकिंग रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है|
- 4. यदि ग्राहक निर्धारित समय के भीतर आवास का लाभ उठाने में असमर्थ होता है तो उसका आरक्षण रद्द कर दिया जायेगा और दिया गया एडवांस जब्त कर लिया जायेगा |
- 5. C.C.T.V. सिस्टम फुटेज केवल सुरक्षा कि द्रष्टि के अधीन है और सेवाओं का हिस्सा नहीं है।
- 6. किसी भी प्रकार कि टूट-फूट या सामान चोरी हो जाने की परिस्थिति में सारी जिम्मेदारी अतिथि कि रहेगी प्रबंधन अतिथि से ह्ए नुकशान की भरपाई करवाने का हकदार होगा |
- 7. नशीली चीजों का सेवन करना अथवा शराब पीना वर्जित है |
- 8. बुकिंग के समय एक मान्य फोटो पहचान पत्र साथ रखें |
- 9. मैनेजमेंट समयानुसार शुल्क में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है |
- 10. किसी विवाद के सम्बन्ध में प्रथमतः walmi प्रबंधन का निर्णय मान्य होगा, निर्णय यदि दोनों पक्षों को मान्य नहीं है तो यह विवाद भोपाल कोर्ट से सुलझाया जायेगा |
- 11. अतिथि की सुविधा के लिए वाहन सुविधा WALMI कि एजेंसी द्वारा उपलब्ध है परन्तु इसका शुल्क अलग से अतिथि द्वारा देय होगा |
- 12. वाल्मी के कर्मचारियों को 50% अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी एवं अन्य शासकीय अतिथियों को 25% कि अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी |
- GST 18% की दर से लागू होगी |

## 14. रद्दीकरण और वापसी नीति:-

| रद्द करने का नोटिस  | सामान्य दिनों में धन वापसी नीति |  |
|---------------------|---------------------------------|--|
| 10 दिन और अधिक      | 90% धन वापसी                    |  |
| 2 से 9 दिनों तक     | 80% धन वापसी                    |  |
| 1 दिन और उसके पूर्व | शून्यधन वापसी                   |  |

नोट:- रद्दीकरण शुल्क पर 18% GST लागू रहेगा |

|        |                 |       | कलाकाश शुल्क सूची |                            |
|--------|-----------------|-------|-------------------|----------------------------|
|        | <del>Danu</del> | राशि  |                   | FOOD ONE TIME (Paid Basis) |
| क्रमाक | विवरण           | VIIVI | 3000.00           | As per agency agreement    |
| 1.     | 3 Hrs           |       | 3000.00           | As per agency agreement    |
| 2      | 6 Hrs           |       | 6000.00           | As per ego y               |
|        |                 |       | 13000.00          | As per agency agreement    |
| 3.     | 12 Hrs          |       | 13000.0           |                            |

## 4. Ecological Park :-

walmi द्वारा Ecological Park का संधारण किया जाता है जिससे visitor / अतिथि Ecological Park में प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं | Ecological पार्क का शुल्क 55 रुपये प्रति व्यक्ति हिसाब से रहेगा |

# 5. सेमिनार / प्रशिक्षण / वर्कशॉप :-

संस्थान के आदेश क्रमांक वाल्मी। डवल्यू -06/प्रशि.शुल्क/2018-19/491, दिनांक 07/05/2018 अनुसार संस्थान में आयोजित किये जा रहे प्रशिक्षणों हेतु निम्नानुसार प्रशिक्षण शुल्क दरें निर्धारित की गई है :-

- 1. सामान्य प्रशिक्षण कार्यक्रम रु. 1250/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिवस
- 2. सामुदायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम रु. 600/- प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिवस
- 3. भारत शासन एवं म.प्र. शासन की योजनाओं में निर्धारित गाइडलाइन अनुसार प्रशिक्षण मद में दर यदि निर्धारित दर से कम है तो उस स्थिति में संचालक के अनुमोदन उपरान्त दरों में बदलाव किया जा सकता है |

Clury 03 13 12 1

## एक से अधिक सुविधाओं को लिए जाने पर शुल्क की संयुक्त दरें निम्नानुसार लागू होंगी।

| क्र. | विवरण  |                 | 0 (              |
|------|--|-----------------|------------------|
|      |  | राशि प्रति दिवस | रिमार्क          |
| 1    | हॉल + कलाकाश 6 HRS   | 30000.0         |                  |
| 2    | हॉल + कलाकाश 6 HRS + वाल्मी पर्यटक कॉटेज                       | 33000.00        | व्यवस्था अलग सं  |
| 3    | हॉल + कलाकाश 3 HRS + वाल्मी पर्यटक कॉटेज                       | 30000.00        | एजेंसी के अनुबंध |
| 4    | हॉल + कलाकाश 12 HRS + वाल्मी पर्यटक कॉटेज                      | 40000.00        | अनुसार मान्य है  |
| 5    | Single AC room Charges for two persons                         | 2000.00         |                  |
| 6    | Ecological पार्क का शुल्क 55 रुपये प्रति व्यक्ति हिसाब से रहेग |                 |                  |

(संचालक द्वारा अनुमोदित)

छ । ० ५। २५ प्रशासकीय अधिकारी श्रवाल्मी, भोपाल

क्रमांक / वाल्मी / डब्ल्यू-04 / 2020-21 / 07-5

दिनांक 0.3/03/2021

प्रतिलिपि :--

समस्त शाखा / प्रकोष्ठ ...... वाल्मी, भोपाल।
वेबसाइट समिति, वाल्मी भोपाल।

3. सूचना पटल, वाल्मी भोपाल।

्ठा ब्रीभ भ प्रशासकीय अधिकारी श्वाल्मी, भोपाल